

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 14, शुक्रवार, शके 1947- दिसम्बर 05, 2025 Agrahayana 14, Friday, Saka 1947- December 05, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 24, 2025

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-14/2025/47829-7292134:-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बाढश्योपुर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 129, 130 क्षेत्रफल 3196.46 वर्गमीटर भूमि जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार ग्रामीण है। मास्टर विकास योजना 2025 एवं जोनल विकास योजना-09 के अनुसार आवासीय एवं कामर्शियल दर्शित है का डेयरी फार्म से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 12.04.2025 के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 38वीं बैठक दिनांक 10.06.2025 के द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति सशर्तप्रदान की गई है।

-:उपान्तरण:-

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बाढ श्योपुर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 129, 130 क्षेत्रफल 3196.46 व.मी. भूमि जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2025 एवं जोनल विकास योजना-09 के अनुसार आवासीय एवं कामर्शियल दर्शाया गया है का डेयरी फार्म भू-उपयोग से मिश्रित प्रयोजनार्थ (19.90 प्रतिषत व्यावसायिक एवं 80.10 प्रतिषत आवासीय) भू-उपयोग परिवर्तन किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 24.11.2025 को जारी की गई है।

निशान्त जैन,

सचिव।